

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 220 /3क(2)/अनि.स्था./2023-24/दिनांक 26/06/2023
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 01/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, एवं शासनादेश संख्या 1613/XXIV-B-1/21-02(01)/2020/दिनांक 23 जुलाई 2021 द्वारा निर्गत निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 17 (1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-10 में अंकित सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है।

शाखा-सामान्य									
क्र.सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	कुल दुर्गम की सेवा अवधि			स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
						वर्ष	माह	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उत्तम सिंह नेगी	कला	रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली	जखोली	रुद्रप्रयाग	19	9	7	रा0इ0का0 चन्द्रापुरी, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग
2	जीत सिंह	कला	रा0इ0का0 थिरपाक	कर्णप्रयाग	चमोली	19	9	7	रा0इ0का0 कर्णप्रयाग चमोली
3	राजेन्द्र प्रसाद	कला	रा0इ0का0 कुमशिला,	भिलंगना	टिहरी	19	9	4	रा0इ0का0 नागणी, चम्बा, टिहरी
4	नन्दन सिंह रावत	कला	रा0इ0का0 चिल्हाड़	चकराता	देहरादून	19	7	30	रा0उ0मा0वि0 खेडीकलां, बहादुराबाद, हरिद्वार
5	रामचन्द्र सिंह	कला	रा0इ0का0 चौरिया	जखोली	रुद्रप्रयाग	19	7	29	रा0उ0मा0वि0 घोन नगुण, थौलधार, टिहरी
6	हरेन्द्र सिंह	कला	रा0इ0का0 पंजणा	जखोली	रुद्रप्रयाग	19	7	26	रा0इ0का0 मनसूना, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग
7	सत्येन्द्र प्रसाद	कला	रा0इ0का0 खैनुरी,	दशोली	चमोली	19	7	0	रा0इ0का0 चोपता, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग
8	सतीश चन्द्र पन्त	कला	रा0इ0का0 जाख	कर्णप्रयाग	चमोली	19	6	30	रा0इ0का0 मालतोली, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग
9	विशाल सिंह कैतुरा	कला	रा0इ0का0 धोपडधार,	भिलंगना	टिहरी	19	6	14	रा0इ0का0 केमरा केमर, भिलंगना, टिहरी
10	दुर्गेश सती	कला	रा0इ0का0 खोला कडाकोट	कीर्तिनगर	टिहरी	19	06	9	रा0इ0का0 दुआधार, नरेन्द्रनगर, टिहरी
11	मस्तान लाल	कला	रा0इ0का0 पोखठा	पोखरी	चमोली	19	2	3	रा0इ0का0 चोपडा, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग
12	इन्दू बदियारी	कला	रा0उ0मा0वि0 दातुनू	कालसी	देहरादून	17	10	29	रा0इ0का0 दिउली, यमकेश्वर, पौड़ी
13	राजेश सिंह विष्ट	कला	रा0इ0का0 मणिगुह	अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग	17	8	18	रा0इ0का0 जवाडी, जखोली, रुद्रप्रयाग
14	गुरु प्रसाद	कला	रा0उ0मा0वि0 तुंगोली	चम्बा	टिहरी	17	8	17	रा0उ0मा0वि0 खाण्ड, चम्बा, टिहरी
15	सतीश चन्द्र	कला	रा0इ0का0 केदारुखाल	कर्णप्रयाग	चमोली	17	8	17	रा0इ0का0 कण्डाली जखोली, रुद्रप्रयाग

क्र.सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	कुल दुर्गम की सेवा अवधि			स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
						वर्ष	माह	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	मनोहर सिंह नेगी	कला	रा0इ0का0 खेड़ाखाल	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	17	08	17	रा0इ0का0 कण्डारा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
17	विवेक चौहान	कला	रा0इ0का0 सौली कौड़िया	जयहरीखाल	पौड़ी	17	8	17	रा0इ0का0 कुम्भीचौड, दुगडडा, पौड़ी
18	नवीन चन्द्र सिंह	कला	रा0उ0मा0वि0 हड़ेटीखाल	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	17	8	16	रा0इ0का0 पठालीधार, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
19	सुशील नौटियाल	कला	रा0उ0मा0वि0 मल्ला	भटवाडी	उत्तरकाशी	17	8	16	रा0इ0का0 डामटा, नौगांव, उत्तरकाशी
20	धर्मेन्द्र सिंह पंवार	कला	रा0इ0का0 मानपुर	भटवाडी	उत्तरकाशी	17	8	16	रा0उ0मा0वि0 तुल्याडा, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी
21	ईश्वर सिंह राणा	कला	रा0इ0का0 बछेर	दशोली	चमोली	17	8	16	रा0उ0मा0वि0 भौसाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
22	गिरीश चन्द्र	कला	रा0इ0का0 दौंक सकलाना	जौनपुर	टिहरी	17	8	16	रा0इ0का0 सजवाणकाण्डा, देवप्रयाग, टिहरी
23	प्रदीप सिंह	कला	रा0इ0का0 कोटबांगर	जखोली	रुद्रप्रयाग	17	8	16	रा0इ0का0 नगरासू, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
24	संजय कुमार विष्ट	कला	रा0इ0का0 नागराजाधार बमुड	चम्बा	टिहरी	17	8	16	रा0उ0मा0वि0 मरोड़ जौनपुर, टिहरी
25	काशी नाथ रवि	कला	रा0इ0का0 सडब	जौनपुर	टिहरी	17	8	15	रा0इ0का0 काण्डा भरदार, जखोली, रुद्रप्रयाग
26	नारायण सिंह	कला	रा0इ0का0 बुल्हाड	चकराता	देहरादून	17	8	13	रा0उ0मा0वि0 टिकोला कला, नारसन, हरिद्वार
27	सुरेन्द्र सिंह	कला	रा0इ0का0 देवीखाल	दशोली	चमोली	17	8	13	रा0इ0का0 द्वारीखाल, पौड़ी
28	श्रीकृष्ण	कला	रा0इ0का0 नागदेव पथल्ड	चम्बा	टिहरी	17	8	13	रा0उ0मा0वि0 गौहरीमाफी, डोईवाला, देहरादून
29	मनोज कुमार	कला	रा0इ0का0 ललूडीखाल	देवप्रयाग	टिहरी	17	8	12	रा0इ0का0 थत्पूड़, जौनपुर, टिहरी
30	तेजेन्द्र सिंह	कला	रा0इ0का0 बावई	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	17	8	8	रा0उ0मा0वि0 हनुमंती, दुगडडा, पौड़ी
31	राकेश सिंह	कला	रा0उ0मा0वि0 समोग मंझगांव	चकराता	देहरादून	17	7	26	रा0इ0का0 सतपुली, द्वारीखाल, पौड़ी
32	हरिश चन्द्र	कला	रा0इ0का0 दिउसी	कल्जीखाल	पौड़ी	17	7	25	रा0इ0का0 केवर्स, पौड़ी
33	मनमोहन त्रिपाठी	कला	रा0इ0का0 दोन्दल	कोट	पौड़ी	17	7	24	रा0इ0का0 सबधरखाल, कोट, पौड़ी
34	दीपक नौटियाल	कला	रा0इ0का0 भटटगांव	भिलंगना	टिहरी	17	7	18	रा0उ0मा0वि0 किला मंगलौर, नारसन, हरिद्वार

क्र.सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	कुल दुर्गम की सेवा अवधि			स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
						वर्ष	माह	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	मेरमान सिंह विष्ट	कला	रा0इ0का0 राधूधार	जाखणीधार,	टिहरी	17	7	18	रा0इ0का0 लैन्सडाउन, जयहरीखाल, पौड़ी
36	मुकेश कुमार	कला	रा0इ0का0 भगवती तलिया	वीरोंखाल	पौड़ी	17	7	17	रा0इ0का0 दुंगीधार, चम्बा, टिहरी
37	शैलेन्द्र मंगगाई	कला	वी0च0सिं0ग0 रा0इ0का0 मारसौं	थलीसैण	पौड़ी	17	7	17	रा0इ0का0 झण्डीचौड, दुगड्डा, पौड़ी
38	यशवीर सिंह	कला	रा0उ0मा0वि0 थौलधार भटवाडा	भिलंगना	टिहरी	17	6	8	रा0इ0का0 चौपड्यू, पाबौं, पौड़ी
39	विपिन चन्द्र	कला	रा0इ0का0 कोपडधार	जाखणीधार,	टिहरी	17	5	25	रा0उ0मा0वि0राजवाट, द्वारीखाल, पौड़ी
40	सतनाम सिंह सैनी	कला	रा0इ0का0 पजिटीलानी	कालसी	देहरादून	17	5	22	रा0उ0मा0वि0 अगरोडा, कल्जीखाल, पौड़ी
41	संजय परमार	कला	रा0इ0का0 मेहरावना,	चकराता	देहरादून	17	5	8	रा0इ0का0 कण्डाईखाल, पौड़ी
42	नरेश विष्ट	कला	रा0इ0का0 नौघर	नरेन्द्रनगर	टिहरी	17	4	29	रा0उ0मा0वि0 पाटीसैण, एकेश्वर, पौड़ी
43	संगीता बहुगुणा	कला	रा0इ0का0 पलेठी डोबल्यौं	देवप्रयाग	टिहरी	14	4	29	रा0इ0का0 मैटाकुण्ड, एकेश्वर, पौड़ी


नोट उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश में महिला संवर्ग से सामान्य संवर्ग में स्थानान्तरित शिक्षकों का मूल संवर्ग सामान्य होने के कारण अनिवार्य स्थानान्तरण सामान्य संवर्ग में किया गया है।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान विद्यालय से कार्यभार मुक्त न होने की दशा में माह जून का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। वेतन आहरित करने पर संस्थाध्यक्ष के विरुद्ध भी अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey Time)' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिवसों तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) उक्तांकित सूची में किसी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अनिवार्य स्थानान्तरण यदि टंकणीय त्रुटि से हो जाता है तो शासनादेशानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष कदापि सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त न करें एवं किसी शिक्षक का अनिवार्य स्थानान्तरण अटल उत्कृष्ट विद्यालय में होता है तो उसे कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें तथा तत्काल उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (7) यदि उक्त स्थानान्तरणों में दो शिक्षकों को एक ही विद्यालय में किसी एक ही विषय की रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी शिक्षक को कार्यभार ग्रहण न करायें तथा तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत करायें ताकि नियमानुसार सुधार किया जा सके।

(8) यदि उक्त स्थानान्तरणों में किसी शिक्षक का स्थानान्तरण मूल नियुक्ति संवर्ग के अतिरिक्त असंगत संवर्ग में हो तो ऐसी स्थिति में प्रमाणिक अभिलेखों सहित सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष तत्काल सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराये व किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण न कराये।


(9) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के सम्बन्ध में कोई सूचना ई-पोर्टल में अंकित सूचना से भिन्न होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष/नियंत्रक इकाई (खण्ड शिक्षा अधिकारी) की होगी।


(महावीर सिंह बिट्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./3467-19 /3क(2)/अनि.स्था./2023-24/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5 अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन एस.सी.ई.आर.टी. व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश उपलब्ध कराने व वर्तमान संस्था से सम्बन्धित का वेतन आहरित न करने का कष्ट करें साथ ही कार्यभार मुक्त शिक्षकों की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपदान्तर्गत स्थित विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश की प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्यों के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे व कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाली शिक्षकों की सूचना दिनांक 05 जुलाई 2023 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- 7 सम्बन्धित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) (एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से)
- 8 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 10 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों के आदेश की प्रति प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धितों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करते हुये कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)
- 11 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तथा आदेश में उल्लिखित शर्तों का पालन करते हुए स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें व माह जून 2023 का वेतन वर्तमान विद्यालय से कदापि आहरित न किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिक संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2018 के अनुपालन में जनपद हरिद्वार व देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालय के 70 प्रतिशत शिक्षकों की उपलब्धता होने पर उन्हें कार्यमुक्त किया जाय। अन्यथा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
- 12 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 13 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से भी प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 14 कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिट्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।